

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक 44(5) वित्त-आब 2022

जयपुर, दिनांक 28 अगस्त 2025

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम (प्रति सलग्न) में उल्लेखित राज्य के नगरीय निकायों में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदा पर उप चुनाव अगस्त-सितम्बर 2025 के लिये मतदान दिनांक 03.09.2025 को करवाये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः संबंधित नगर निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों एवं उससे लगते हुये 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्र में राज्यपाल महोदय द्वारा मतदान समाप्ति पर पूर्ण होने वाली 48 घंटों की अवधि अर्थात् दिनांक 01.09.2025 को सांय 05.00 बजे से दिनांक 03.09.2025 को सांय 05.00 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया जाता है।

सलग्न उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(वरुण मिश्रा)

संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph FAX 0141-2227280 2227072

क्रमांक: एफ.4(2)(1)नपा/रानिआ/2025/ 2989

दिनांक: 27/08/2025

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) टोंक, जयपुर एवं भीलवाड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अम्बा लाल मीणा)
उपसचिव